

अधिसूचना सं. 36/2014 [एफ. सं. 203/30/2013 आईटीए-II], दिनांक 26-8-2014

यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि संगठन बीरबल साहनी पुरावनस्पति संस्थान, लखनऊ (पैन-एएटीबी6882एच) को केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजन के लिए, आयकर नियम, 1962 (उक्त नियम) के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित, मूल्यांकन वर्ष 2014-2015 से आगे 'वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' गतिविधियों की श्रेणी में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन दिया गया है, अर्थात्:—

- (i) अनुमोदित 'वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' का एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना होगा;
- (ii) अनुमोदित संगठन स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
- (iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों के संबंध में अलग खाता-बही रखेगा, उसमें अनुसंधान करने के लिए उपयोग की गई राशियों को दर्शाएगा, ऐसी बहियों का उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) की व्याख्या में परिभाषित लेखाकार से ऑडिट कराएगा और ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसे ऑडिट की रिपोर्ट उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय की विवरणी भरने की नियत तिथि तक आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को, जिसके क्षेत्राधिकार में मामला आता है, प्रस्तुत करेगा;
- (iv) अनुमोदित संगठन प्राप्त दान और सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लगाई गई राशियों का अलग विवरण रखेगा और ऐसे विवरण की एक प्रति जो ऑडिटर द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, उपरोक्त संदर्भित ऑडिट रिपोर्ट के साथ संलग्न होगी।

2. केंद्र सरकार अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:—

- (a) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में संदर्भित अलग खाता-बही रखने में विफल होता है; या
- (b) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में संदर्भित अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल होता है; या
- (c) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में संदर्भित सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में प्राप्त दान और अनुसंधान के लिए लगाई गई राशियों का विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है; या
- (d) अपनी अनुसंधान गतिविधियाँ जारी रखना बंद कर देता है या उसकी अनुसंधान गतिविधियाँ वास्तविक नहीं पाई जाती हैं; या
- (e) उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के प्रावधानों का उक्त नियमों के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित अनुपालन करना बंद कर देता है।

■ ■